

संपर्क: 8850529228

2. अखिलेश राव

कमरा न. डब्लु -199,

अष्टविनायक मंदिर के नजदीक, अंबुजवाड़ी,

मालवणी, मलाड (प.), मुंबई, 400095

संपर्क: 9702726051

3. उमर शैख

इंदिरा नगर, मंडाला,

घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड, मानखुर्द,

मुंबई, 400088

संपर्क: 8879166606

पगार नहीं मिलने की शिकायत इस नंबर पर दर्ज करें : 18008339020



मज़दूर बनो मज़बूत

कामगार संरक्षण सम्मान संघ

www.kamgarsss.com

+91-8976107998

विषय-सूची

1. मुहीम के बारे में-----2-3
2. 'मज़दूर बनो मज़बूत' मुहीम को समर्थन -----4
3. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मण्डल
मुहैया कराई जा रही योजनाओं की जानकारी-----5-8
4. पंजीकरण करने के लिए Step by Step गाइड-----9
5. कामगार संरक्षण सम्मान संघ के 'मज़दूर सहायता व मध्यस्ता केंद्र'
के द्वारा पंजीकरण में मदद-----10-11

5

कामगार संरक्षण सम्मान संघ के 'मज़दूर सहायता व मध्यस्ता केंद्र' के द्वारा पंजीकरण में मदद

कामगार संरक्षण सम्मान संघ द्वारा शहर में तीन अलग स्थान पर 'मज़दूर सहायता व मध्यस्ता केंद्र' स्थापित किये गए हैं। पंजीकरण सम्बन्धी कोई भी जानकारी व मदद के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मज़दूर सहायता व मध्यस्ता केंद्र द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं राशन कार्ड दी जाती हैं :

1. इ-श्रम पंजीकरण
2. राशन कार्ड सम्बन्धी
3. पानी-बिजली कनेक्शन का आवेदन
4. घरेलु कामगार पंजीकरण
5. योजनाओं का फायदा देने के लिए आवेदन
6. मज़दूर सम्बन्धी विवादों में कानूनी मदद
7. पुनर्वास सम्बन्धी मामलों में मदद

केन्द्रों का पता :

1. जमीला बेगम
कमरा न. 958, जय भवानी चौल अन्नाभाउ साठेनगर,
वीर जिजामाता भोसले मार्ग, मानखुर्द, मुंबई, 400043

पंजीकरण करने के लिए Step by Step गाइड

1. अपने बीएमसी वार्ड में जाकर 90 दिन काम का फॉर्मेट प्राप्त करें।
2. 90 दिन काम के फॉर्मेट को कामगार कांटेक्टर की मदद से भरें।
3. 90 दिन काम का फॉर्मेट पूरा भरने के बाद 'दूकान व अस्थापना' विभाग में जाकर जमा करें।
4. अगर कामगार द्वारा दी गयी जानकारी ठीक निकली तो कामगार को सर्टिफिकेट दे दिया जायेगा। (अगर बीएमसी कोई आपत्ति जताती है तो आप उसे दुरुस्त करके दोबारा जमा कर सकते हैं।)
5. सर्टिफिकेट को इस लिंक <https://mahabocw.in/workers-registration/> पर अपलोड करें और बाकी जानकारी भरें।
6. सही जानकारी होने पर आपका रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों में हो जायेगा।
7. सरकारी रजिस्ट्रेशन फी रु. 25 /- है और वार्षिक फी रु. 12 है।

नोट: रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड या अन्य सरकारी पुरावे लगेंगे।

मुहीम के बारे में

‘मज़दूर बनो मज़बूत’

कामगार संरक्षण सम्मान संघ (क.स.स.स.) मानता है कि कामगार/मज़दूर को दिन भर मेहनत करने के बाद भी बुनियादी ज़रूरतों के लिए मजबूर ना होना पड़े। मज़दूर को सिर्फ उसकी मेहनत के लिए नाही पूरी कीमत मिले बल्कि साथ में सम्मान भी मिले। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि आपको लगने वाली सारी बुनियादी ज़रूरतों जैसे स्वास्थ्य, घर, रोज़गार सुरक्षा, शिक्षा, इत्यादि मुहैया हो। इसके साथ-साथ सम्मानजनक जीवन के लिए ज़रूरी है कि जब आप अपनी रोज़ी-रोटी कमाने की उम्र में नहीं रहें या किसी हादसे के कारण आप कमाने लायक नहीं रहे तो आपको वो हर न्यूनतम सुविधा मिले जिससे आप अपना बाकी का जीवन सम्मानजनक गुज़ार सकें।

इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क.स.स.स. ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर तय किया कि मुंबई-भर के कामगारों के बीच में जाकर कामगारों के लिए बने सरकारी सामाजिक सुरक्षा संस्थानों के बारे में जागरूक करेगा और उन संस्थानों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रेरित करेगा। मौजूदा मुहीम 'महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मण्डल' में 50 से अधिक प्रकार के नाका कामगारों को पंजीकृत करने की मुहीम चलायेगी। साथ ही में साथी संगठनों से भी मदद लेकर स्थानिक स्तर पर पंजीकरण की प्रक्रिया चलाने की अपील की जाएगी।

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मण्डल में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया इस किताब में step by step गाइड के माध्यम से दी गयी है। साथ ही में बोर्ड के माध्यम से चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी और मज़दूरों के मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी हैं।

बिलाल खान
(अध्यक्ष, क.स.स.स.)
10 दिसंबर 2021

आर्थिक सहाय्य योजना- ०७

अ.क्र.	योजनेचे नाव	मिळणारा लाभ
१.	अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (शहरी) अर्थसहाय्य	रु. २.०० लक्ष
२.	अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) अर्थसहाय्य	रु. २.०० लक्ष
३.	गृहकर्जावरील रु. ६.०० लक्ष पर्यंतच्या व्याजाची रक्कम अथवा	रु. २.०० लक्ष
४.	कामगाराचा कामावर असताना मृत्यू झाल्यास कायदेशीर वारसास अर्थसहाय्य	रु. ५.०० लक्ष
५.	कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास अर्थसहाय्य (वय वर्षे ५१ ते ६०)	रु. २.०० लक्ष
६.	कामगाराचा मृत्यू झाल्यास वारसदारास अर्थसहाय्य	रु. १०,०००/-
७.	कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीस/पतीस पाच वर्षे अर्थसहाय्य	रु. २४,०००/-

आरोग्य विषयक योजना-०६

अ.क्र.	योजनेचे नाव	मिळणारा लाभ
१.	महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना/ आयुष्यमान भारत योजना	लाभार्थी कुटुंबास १७१ उपचाराकरीता प्रति कुटुंब प्रति वर्ष १.५० लक्ष व मुत्रपिंड प्रत्यारोपनाकरीता रु. २.५ लक्षापर्यंत विमा संरक्षण
२.	गंभीर आजाराच्या उपचारार्थ अर्थसहाय्य	रु. १,००,०००/-
३.	७५% किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास अर्थसहाय्य	रु. २,००,०००/-
४.	बांधकाम कामगारांच्या पत्नीस नैसर्गिक प्रसूतीसाठी शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूतीसाठी अर्थसहाय्य	रु. १५,०००/- रु. २०,०००/-
५.	एका मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केल्यास त्या मुलीच्या नावे १८ वर्षांपर्यंत (रु. एक लाख फक्त) मुदत बंद ठेव	रु. १,००,०००/-
६.	नोंदीत बांधकाम कामगारांची आरोग्य तपासणी करणे.	बांधकामाच्या ठिकाणी शिबीर आयोजन करणे

‘मज़दूर अब ना हो मजबूर’ मुहीम को समर्थन

हमें बेहद खुशी है कि इस मुहीम को 'महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मण्डल' का प्रोत्साहन मिला है। इस मुहीम को निम्न साथी संगठनों से मिले समर्थन के भी हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं :

1) वर्किंग पीपलस चार्टर, 2) हेलिंग हेंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट, 3) बॉम्बे सर्वोदय फ्रेंडशिप सेंटर, 4) जन स्वास्थ्य अभियान, मुंबई, 5) पानी हक्र समिति, 6) घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन, 7) कष्टकरी संघर्ष महासंघ 8) निर्माण मज़दूर संगठन, 9) हैबिटेट एंड लाइवलीहुड वेलफेयर एसोसिएशन, 10) धारावी रॉक्स, 11) एकोर्न, 12) आजीविका ब्यूरो, 13) महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन 14) युवा 15) कामगार एकता यूनियन 16) गिरनी कामगार संघर्ष समिति 17) राष्ट्रीय हमाल पंचायत व अन्य

क.स.स.स कार्यकारणी समिति:

बिलाल खान (अध्यक्ष), अनीता ढोले (उपाध्यक्ष), जमीला बेगम (सचिव), उदय मोहिते (सह-सचिव), अखिलेश राव (खजिनदार), उमर शैख (सह-खजिनदार), अख्तरी शैख (सदस्य)

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मण्डल द्वारा मुहैया कराई जा रही योजनाओं की जानकारी

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार
कल्याणकारी मंडळ, मुंबई
मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध
कल्याणकारी योजनांची यादी
शैक्षणिक सहाय्य योजना- ०७

अ.क्र.	योजनेचे नाव	मिळणारा लाभ
१.	किमान ७५% किंवा अधिक उपस्थिती - इयत्ता १ ली ते ७ वी साठी प्रतिवर्षी रु.२५००/- आणि इयत्ता ८ वी ते १० वी साठी प्रतिवर्षी शैक्षणिक सहाय्य	रु. २५००/- रु. ५०००/-
२.	इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी मध्ये किमान ५०% किंवा अधिक गुण प्राप्त झाल्यास शैक्षणिक सहाय्य	रु. १०,०००/-
३.	इयत्ता ११ वी व इयत्ता १२ वी च्या शिक्षणासाठी प्रती शैक्षणिक वर्षी शैक्षणिक सहाय्य	रु. १०,०००/-
४.	पदवीच्या प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षाच्या प्रवेश, पुस्तके व शैक्षणिक सामुग्रीसाठी प्रतिवर्षी शैक्षणिक सहाय्य	रु २०,०००/-
५.	वेद्यकीय पदवीकरीता व अभियंत्रिकी पदवीकरीता शैक्षणिक सहाय्य	रु.१,००,०००/- रु.६०,०००/-

अ.क्र.	योजनेचे नाव	मिळणारा लाभ
६.	शासनमान्य पदविकेमध्ये प्रती शैक्षणिक वर्षी आणि पदव्युत्तर पदवीका मध्ये प्रति शैक्षणिक वर्षी शैक्षणिक सहाय्य	रु.२०,०००/- रु. २५,०००/-
७.	संगणकाचे शिक्षण (MS-CIT) घेत असलेल्या नोंदीत लाभार्थी कामगारांच्या दोन पाल्यांना शुल्काची परीपुर्ती. तथापि, MS-CIT उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यास सदर शुल्काची प्रतिपूती करण्यात यावी.	शुल्काप्रमाणे

सामाजिक सुरक्षा व अन्य योजना-०८

अ.क्र.	योजनेचे नाव	मिळणारा लाभ
१.	पहिल्या विवाहाच्या खर्चाच्या प्रतिपूतीसाठी अर्थसहाय्य	रु. ३०,०००/-
२.	प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना	
३.	प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना	रु. २.०० लक्ष
४.	प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना	रु. २.०० लक्ष
५.	सुरक्षा संच वाटप करणे - प्राटेक्टीव शूज, हेअरिंग प्रोटेक्शन, सेप्टी हेल्मेट, सेप्टी हार्नेस, मास्क, सेप्टी हँड ग्लोव्हज, रिफ्लेक्टीव जॅकेट	सुरक्षा संच
६.	अत्यावश्यक संच वाटप करणे - सोलर टॉच मॉस्कीटो नेट, प्लॅस्टिक मॅट, टिफीन बॉक्स, आऊटर बॅग, वॉटर बॉटल, गॅल्वनाईज ट्रंक	अत्यावश्यक संच
७.	पूर्व शिक्षण ओळख (RPL) प्रशिक्षण योजना	८ ट्रेड चे प्रशिक्षण
८.	नोंदीत बांधकाम कामगारासाठी मध्यान्ह भोजन योजना राबविणे.	मध्यान्ह भोजन